

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II,  
SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF FINANCE  
(DEPARTMENT OF REVENUE)  
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24<sup>th</sup> June, 2015

INCOME-TAX

**S.O. 1683(E).**— In exercise of the powers conferred by section 295 read with sub-clause (viii) of *Explanation* to sub-section (2) of section 288 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Ninth Amendment) Rules, 2015.  
(2) They shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Income-tax Rules, 1962, after rule 51, the following rule shall be inserted, namely:-  
**“51A. Nature of business relationship.**— For the purposes of sub-clause (viii) of *Explanation* below sub-section (2) of section 288, the term “business relationship” shall be construed as any transaction entered into for a commercial purpose, other than, –
  - (i) commercial transactions which are in the nature of professional services permitted to be rendered by an auditor or audit firm under the Act and the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949) and the rules or the regulations made under those Acts;
  - (ii) commercial transactions which are in the ordinary course of business of the company at arm’s length price – like sale of products or services to the auditor, as customer, in the ordinary course of business, by companies engaged in the business of telecommunications, airlines, hospitals, hotels and such other similar businesses.”

[Notification No. 50/2015, F.No.142/9/2015-TPL]

(RAJESH KUMAR BHOOT)  
DIRECTOR (TAX POLICY & LEGISLATION)

*Note.*— The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification No. S.O. 969(E), dated the 26<sup>th</sup> March, 1962 and last amended vide notification No. S.O. 1660(E), dated 22/06/2015.

[भरत केरजम, असधरण, भग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकशमर्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राज्य विभाग)  
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून 2015

अमर-कर

का० आ० 1683(अ)-- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, अमर-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के धारा 288 के उपधारा (2) के स्पष्टीकरण के उपखंड (viii) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अमर-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अमर-कर (नौवां संशोधन) नियम, 2015 है।  
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन के तारीख के प्रवृत्त होंगे।
2. अमर-कर नियम, 1962 के नियम 51 के परचूत निम्नलिखित नियम अस्तित्व में विद्यमान हों, अर्थात् :--

"51 का कारबार संबंध के प्रवृत्ति- धारा 288 के उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण के उपखंड (viii) के प्रयोजनों के लिए, "कारबार संबंध", पद का अर्थव्ययन रूप में विद्यमान,--

(i) ऐसे वणिज्यिक संघटनों से जे इस अधिनियम या चर्टड अफ्टेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) और उन अधिनियमों के अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन किसी संशिक्षक या संशिक्षक फर्म द्वारा वे जने के लिए अनुज्ञात वृत्तिक सेघओंके प्रवृत्ति के हैं;

(ii) ऐसे वणिज्यिक संघटनों से जे कंपनी के कारबार के मसूही अनुक्रम में अस्निघट किस्म पर हैं - जैसे दूरसंचार, एयरलाइंस, चिकित्सालय, होटल और जैसे ही अन्य कारबारों में लगी हुई कंपनियों द्वारा कारबार के मसूही अनुक्रम में गृहक के रूप में संशिक्षक के उपद य सेघओंक विद्यमान,

भिन्न किसी वणिज्यिक प्रोजेक्ट के लिए किए गए किसी संघटन के रूप में विद्यमान।"

[अधिसूचना सं 50/2015/फ.सं 142/9/2015-टी.पी.एल.]

(रजेश कुमार भूसा)  
निदेशक (कर नीति और विधान)

टिप्पण-मूल नियम भारत के राजपत्र, अधधरण, भग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ 969(अ), तारीख 26 मार्च 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे में और अधिसूचना संख्यांक का.आ 1660(अ), तारीख 22/06/2015 द्वारा उनका अंतिम संशोधन विद्यमान है।